किसान अपने खेत पर स्वयं का सोयाबीन बीज उत्पादन कैसे करें ?

1. बीज उत्पादन हेतु चयनित किस्म का प्रजनक / आधार बीज मान्यता प्राप्त स्रोत से प्राप्त कर उसका न्यूनतम 70 प्रतिशत अंकुरण सुनिश्चित करें।

2. यह भी सुनिश्चित करें कि जिस किस्म का बीज उत्पादन किया जा रहा है वह उसी खेत में पिछले वर्ष में न उगाई गई हो एवं खेत में जल निकास का उचित प्रबधं हो।

3. बौवनी से पहले खेत की गहरी जुताई एवं विपरीत दिशा में बख्खर एवं पाटा चलाकर खेत को समतल करें।

4. मानसून के आगमन के पश्चात् 45 से.मी. कतार से कतार की दूरी एवं 5 से.मी. बीज की दूरी रखते हुए अधिकतम 3 से.मी. की गहराई पर 60–80 कि.ग्रा / हेक्टेयर की दर से उपयुक्त सीड ड्रील (बीबीएफ या रीज–फरो) से बौवनी करें।

5. बौवनी से पहले सोयाबीन के बीज को थाइरम एवं कार्बेन्डाजिम (2:1) 3 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से अथवा मिश्रित उत्पाद कार्बोक्सिन 37.5 + थाइरम 37.5 मात्रा 2–3 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से या फेनफ्लूफेन + ट्रायफ्लोक्सीस्ट्रोबीन 38 एफ.एस. (1 मि.ली. / कि.ग्रा. बीज) की दर से उपचारित करना चाहिये। इनके स्थान पर बीज उपचार हेतु *ट्राइकोडर्मा विरिडी* (8–10 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज) का भी उपयोग किया जा सकता है। तत्पश्चात् जैविक खाद (ब्रेडीराइजोबियम कल्चर एवं पीएसबी कल्चर 5 ग्राम प्रति कि. ग्रा. बीज की दर से) से उपचारित करें एवं छाया में सुखाकर तुरन्त बोने में उपयोग करना चाहिये।

6. समुचित पोषण प्रबंधन हेतु अनुशंसित 20:60:40:20 कि.ग्रा. / है. की दर से आवश्यक नत्रजन : स्फुर : पोटाश : गंधक की पूर्ति बौवनी के समय विभिन्न उर्वरकों के प्रयोग से सुनिश्चित करें।

7. फसल सुरक्षा हेतु विभिन्न जैविक (कीट / बीमारी / खरपतवार आदि) एवं अजैविक तनावों (सूखा / अतिवृष्टि आदि) से होने वाली उत्पादन में कमी को टालने हेतु समय–समय पर खेत की निगरानी कर उनका प्रबंध करें।

8. निरीक्षण के दौरान खेत में पाये गये अवांछित कीट एवं रोगग्रस्त पौधे, खरपतवार आदि को नष्ट करें। पत्तियों का आकार, फूलों के रंग, फलियों पर रोएं आदि लक्षणों के आधार पर अवांछित / अलग किस्म के पौधों की पहचान करके उन्हें नष्ट करें।

9. पौधे, फूल एवं दाना भरने की अवस्थाएं मृदा नमी के लिये क्रांतिक अवस्थाएं होने के कारण इन अवस्थाओं में सूखा पड़ने पर सिंचाई अवश्य करनी चाहिये। इस संस्थान द्वारा विकसित बीबीएफ सीड ड्रील एवं फर्ब सीड ड्रील द्वारा बौवनी करने पर सूखा एवं अधिक वर्षा से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है।

10. फलियों का हरा रंग बदलने या पूर्णतया समाप्त होने पर यह मान लें कि फलियाँ परिपक्व हो चुकी है। इस अवस्था में सोयाबीन की कटाई करनी चाहिये। कटी हुई फसल को 2–3 दिन धूप में सूखा कर थ्रेशर से धीमी गति (300–400 आर.पी. एम.) पर गहाई करनी चाहिये एवं इस बात की सावधानी रखें कि गहाई के समय बीज के छिलके को कोई क्षति न हों।

11. गहाई के बाद बीज को धूप में अच्छे से सूखा कर भण्डारण करना चाहिए। भण्डार गृह ठंडा, नमीरहित व हवादार होना चाहिए। यह भी सावधानी रखें कि 5 फीट से अधिक बोरियों की थप्पी न लगाएं। बीज की बोरियों को ऊंचाई से नहीं पटकना चाहिए। इससे बीज की अंकुरण क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

तकनीकी मार्गदर्शन : डॉ. मृणाल कुचलन एवं डॉ. संजय गुप्ता

संकलन एवं संपादन : डॉ. बी. यू. दुपारे एवं डॉ. एस. डी. बिल्लौरे

प्रकाशक : डॉ. वी. एस. भाटिया, निदेशक

टीएसपी के अंतर्गत आदिवासी कृषकों के हित में प्रकाशित

हर कदम, हर डगर किसानों का हमसफर
भाकृअनुप कृषि अनुसंधान परिषद

Agrisearch with a human touch

विस्तार बुलेटिन क्रमांक 18 (2019)

सोयाबीन

उन्नत प्रजातियाँ, गुणधर्म उत्पादन क्षमता एवं परिपक्वता अवधि

भा.कृ.अनु.प.–भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान
खण्डवा रोड़, इन्दौर - 452001, म. प्र.
दूरभाष : 0731-2476188
वेबसाइट : https://iisrindore.icar.gov.in
फैक्स : 0731-2470520
ई-मेल : director.soybean@icar.gov.in/
dsrdirector@gmail.com

सोयाबीन की उन्नत प्रजातियाँ

सोयाबीन का अधिकाधिक उत्पादन लेने में उन्नत किस्म तथा उसके गुणवत्तापूर्ण बीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई वर्षो के लगातार अनुसंधान से विकसित इन किस्मों को देश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में परीक्षणों में आंकलन उपरांत लाभकारी पाये जाने पर ही उन्हें राज्य/क्षेत्र अनुसार विमोचित किया जाता है। इन किस्मों में अधिक उत्पादन क्षमता तथा विशेष गुण होते है जिनसे वह विभिन्न जैविक एवं अजैविक कारकों का विपरीत परिस्थितियों में भी सामना करने की क्षमता होती है। भारत में सोयाबीन की प्रजातियों को उपयुक्त जलवायु अनुसार देश के पांच क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है।

राज्य/क्षेत्रवार सोयाबीन की अनुशंसित किस्में

मध्य क्षेत्र

(मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड भाग, राजस्थान, गुजरात, उत्तर–पश्चिमी महाराष्ट्र) : जे. एस. 20–116, जे. एस. 20–94, जे. एस. 20–98, एन. आर. सी. 127, आर. वी. एस. 2002–4, आर. वी. एस. 18, जे. एस. 20–69, एन. आर. सी. 86, जे. एस. 20–34, जे. एस. 20–29, आर. वी. एस. 2001–4, आर. के. एस. 45, आर. के. एस. 24, जे. एस. 97–52, जे. एस. 95–60, जे. एस. 93–05, एन. आर. सी. 37 आदि।

दक्षिणी क्षेत्र

(कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग) : डी.एस.बी 23, एम. ए. यू. एस. 612, बसारा, एम. ए. सी. एस. 1281, के.डी.एस. 344 (फूले अग्रणी), डी.एस. बी. 21, एम. ए. यू. एस. 162, एम. ए. सी. एस. 1188, एम. ए. यू. एस. 158 आदि।

उत्तर मैदानी क्षेत्र

(पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदान, मैदानी–उत्तराखण्ड व पूर्वी बिहार) : पी.एस. 1477, पी.एस. 1521, पी.एस. 1480, एस. एल. 958, पूसा 12, पी.एस. 1368, पी.एस. 1225, पी.एस. 1347 आदि।

उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र

(हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र) : वी. एल.एस. 89, वी.एल.भट्ट 201, वी.एल.एस. 77, वी.एल.एस. 65, वी. एल.एस. 63, आदि।

उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र

(असम, सिक्कीम, मेघालय, मणीपुर व नागालैण्ड) एवं **पूर्वी क्षेत्र** (छत्तीसगढ़, झारखण्ड़, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल) जे.एस. 20–116, के.एस.–103, जे.एस. 97–52, आर.के.एस. 18, आर.ए.यू. एस.–5 तथा छत्तीसगढ़ सोया 1 आदि। सलाह है कि क्षेत्रवार अनुशंसित सोयाबीन की किस्मों (तालिका 1) से अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त 3–4 किस्मों की बौवनी करनी चाहिये।

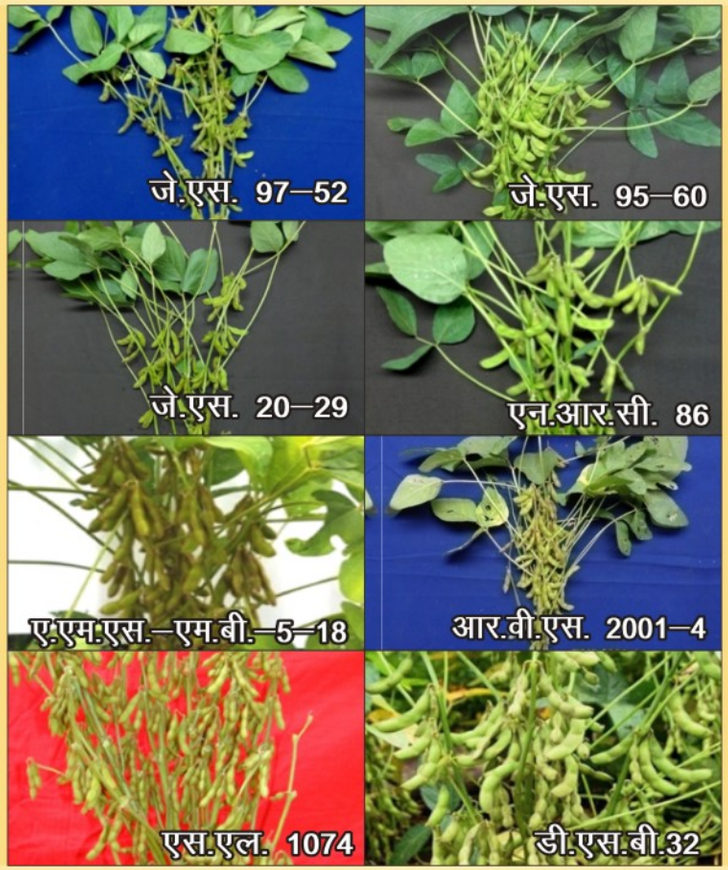

क्रं.	किस्म	पकने की अवधि (दिन)	उत्पादन क्षमता (क्विं./हेक्टे.)
1.	जे.एस. 20–116	95–100	30
2.	जे.एस. 20–94	98–100	27
3.	जे.एस. 20–98	96–101	23
4.	एन.आर.सी. 127	100–104	22
5.	आर.वी.एस. 2002–4	92–96	22
6.	आर.वी.एस. 18	92–97	24
7.	जे.एस. 20–69	91–97	23
8.	एन.आर.सी. 86	95–100	24
9.	जे.एस. 20–34	86–88	22
10.	जे.एस. 20–29	93–96	24
11.	आर.वी.एस. 2001–4	101–105	28
12	आर.के.एस. 45	98–100	28
13	आर.के.एस. 24	95–98	35
14	जे.एस. 97–52	100–106	25
15	जे.एस. 95–60	85–89	23
16	जे.एस. 93–05	90–96	24
17	एन.आर.सी. 37	99–105	30
18	डी.एस.बी 23	101–106	27
19	एम.ए.यू.एस. 612	93–98	28
20	बसार	105–115	32
21	एम.ए.सी.एस. 1281	90–100	28
22	के.डी.एस. 344	93–95	28
23	डी.एस.बी 21	90–95	30
24	एम.ए.यू.एस. 162	100–103	30
25	एम.ए.सी.एस. 1188	101–103	25
26	एम.ए.यू.एस. 158	93–98	22
27	के.एस. 103	89–94	30
28	आर.के.एस. 18	95–100	26
29	आर.ए.यू.एस.–5	96–104	25
30	छत्तीसगढ़ सोया 1	95–100	28
31	वी.एल.सोया 89	111–120	25
32	वी.एल.भट्ट 201	113–120	18
33	वी.एल. सोया 77	113–127	23
34	वी.एल. सोया 65	118–125	20
35	वी.एल. सोया 63	125–132	30
36	पी.एस. 1477	113–120	28
37	पी.एस. 1521	112–115	32
38	पी.एस. 1480	123–126	25
39	एस. एल. 958	135–145	23
40	पूसा 12	124–131	25
41	पी.एस. 1368	117–125	23
42	पी.एस. 1225	122–127	30
43	पी.एस. 1347	120–125	31